प्राप्तियाँ एवं भुगतान के आंकड़ों के आधार पर ''स्थानीय निकायों का लेखा'' तैयार किया जाना

दिशा निर्देश

13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार जिला आय अनुमानों (Estimate of District Income) के सुदृढ़ीकरण हेतु स्थानीय निकायों का उनकी प्राप्तियों एवं भुगतान के आंकड़ों के आधार पर लेखा तैयार किया जाना है। उक्त लेखा तैयार किये जाने हेतु जनपद में स्थित स्थानीय निकायों से उनकी प्राप्तियां एवं भुगतान सम्बन्धी तीन वर्षों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर एकत्र किये जाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

इस सर्वेक्षण हेतु स्थानीय निकाय के अन्तर्गत नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, छावनी परिषद, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत को सम्मिलित किया गया है। जनपद के समस्त स्थानीय निकायों से तीन वर्षों (2011–12, 2012–13 व 2013–14) के लिए उपलब्ध अभिलेखीय सूचनाओं के आधार पर निर्धारित प्रपत्र पर सूचना एकत्र की जानी है।

स्थानीय निकायों का लेखा तैयार किये जाने हेतु स्थानीय निकायों की समस्त स्रोतों से प्राप्तियाँ अर्थात आय व समस्त मदों पर किये गये भुगतान अर्थात व्यय को अभिज्ञानित करते हुए निर्धारित प्रपत्र के निर्धारित स्थान पर अंकित किया जाना है। प्रपत्रों पर यह सूचना सम्बन्धित स्थानीय निकाय के लेखाकार या यथा उपयुक्त व्यक्ति के द्वारा भरी जानी है, जिसके पास सम्बन्धित पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हों। निर्धारित प्रपत्र के समस्त मदों के अन्तर्गत स्थानीय निकाय में उपलब्ध सूचनाएं अंकित की जानी चाहिये। ऐसे समस्त मदों के सम्मुख ''शून्य (0)'' अंकित किया जाय, जिसकी सूचना सम्बन्धित निकाय के संदर्भ में 'शून्य' है। किसी भी दशा में डैश '–' का प्रयोग न किया जाय। ग्राम पंचायतों के संदर्भ में सम्बन्धित प्रपत्र पर सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा भरी जानी है।

नगरीय स्थानीय निकायों से ससमय सूचना एकत्र किये जाने हेतु आवश्यक समन्वय एवं प्रपत्र में पूर्ण सूचनाएं दर्ज कराने हेतु तथा अंकित सूचनाओं के परिनिरीक्षण हेतु जनपद स्तर पर अपर सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी(सां0) के मध्य स्थानीय निकायों का आवंटन किया जाना चाहिये तथा ग्रामीण क्षेत्र के तत्सम्बन्धी कार्य हेतु सहायक विकास अधिकारी(सां0) को आवंटन किया जाना चाहिये। जनपद में कर्मचारियों की स्थिति के अनुसार अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा कार्य आवंटन में यथावश्यक विचलन किया जा सकता है।

उक्त सर्वेक्षण कार्य हेतु स्थानीय निकाय के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी (जिसके द्वारा सूचना प्रपत्र पर भरी जाएगी) को रू0 500/– एवं सूचना के ससमय संग्रहण एवं परिनिरीक्षण करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को रू0 200/– प्रति स्थानीय निकाय के लिये मानदेय दिये जाने की व्यवस्था है, जबकि ग्राम पंचायतों से ससमय सूचना के संग्रहण हेतु आवश्यक सहयोग एवं निर्देशन के लिए प्रत्येक खण्ड विकास अधिकारी के लिये भी रू0 3000/– का मानदेय निर्धारित है। मानदेय का वितरण सर्वेक्षण कार्य की समाप्ति के बाद किया जायेगा। निर्धारित मानदेय का वितरण शासकीय नियमानुसार **केवल ई–भुगतान के माध्यम से बैंक खाते में किया जायेगा,** अतएव प्रारम्भ से ही सम्बन्धित के बैंक खाते का विवरण प्राप्त किया जाना उपयुक्त होगा।

उक्त सर्वेक्षण कार्य को सम्पादित करने हेतु निम्नवत समयसारिणी निर्धारित की गयी है, जिसका शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। 13वें वित्त आयोग का कार्यकाल 31–03–2015 को समाप्त होने के कारण भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के उपभोग हेतु समयबद्धता का ध्यान रखा जाना अनिवार्य है।

प्राप्तियाँ एवं भुगतान के आंकड़ों के आधार पर ''स्थानीय निकायों का लेखा'' तैयार किया जाना

निर्धारित समय सारिणी

क्र0 सं0	कार्य	तिथि/अवधि
1	2	3
1	**विभागीय अधिकारियों एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण–सह–कार्यशाला का आयोजन**	21–07–2014
2	**सम्बन्धित सर्वेक्षण कार्य हेतु नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण (प्रत्येक जनपद के एक अपर सांख्यिकीय अधिकारी)**	08–08–2014
3	**सर्वेक्षण हेतु प्रपत्रों की छपाई**	16–08–2014
4	(अ) जनपद स्तर पर सम्बन्धित स्थानीय निकाय के अधिकारियों का प्रशिक्षण–सह–कार्यशाला का आयोजन(नगर निगम/नगर पालिका/विकास प्राधिकरण/छावनी परिषद/नगर पंचायत/क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अधिकारी)	18 से 20–08–2014 के मध्य
	(ब) नगरीय क्षेत्र के समस्त सर्वेक्षणकर्ता एवं सूचना प्रदाता(लेखाकार) का प्रशिक्षण एवं जनपद स्तर पर प्रपत्र/निर्देशों का वितरण	21 से 23–08–2014 के मध्य
	(स) ग्रामीण क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्मिक(सूचना प्रदाता) एवं सर्वेक्षणकर्ता का प्रशिक्षण तथा सम्बन्धित प्रपत्र एवं निर्देशों का वितरण(प्रत्येक विकास खण्डवार)	25 से 30–08–2014 के मध्य
5	**सर्वेक्षण कार्य/प्रपत्र पर सूचना भरा जाना**	
	(अ) नगरीय क्षेत्र के स्थानीय निकायों में (नगर निगम/नगर पालिका/विकास प्राधिकरण/छावनी परिषद/नगर पंचायत/जिला पंचायत)	21–08–2014 से 10–09–2014 तक
	(ब) ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निकायों में (क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत)	प्रशिक्षणोपरान्त से 20–09–2014 तक
6	**भरे प्रपत्रों का जमा किया जाना**	
	(अ) जनपद स्तर पर (जिला पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/विकास प्राधिकरण/छावनी परिषद/नगर पंचायत इत्यादि)	20–09–2014 तक
	(ब) क्षेत्र पंचायत स्तर पर(क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत)	30–09–2014 तक
	(स) क्षेत्र पंचायतों से जनपद स्तर पर	07–10–2014 तक
7	**भरे हुए प्रपत्रों का परिनिरीक्षण जनपद स्तर पर**	31 अक्टूबर 2014 तक
8	**परिनिरीक्षित प्रपत्रों की डेटा इन्ट्री/कम्प्यूटरीकरण**	30 नवम्बर 2014
9	**प्रभाग पर सम्बन्धित डेटा फाइल प्राप्त कराया जाना**	7 दिसम्बर 2014

स्थानीय निकाय की प्राप्तियाँ एवं भुगतान के आधार पर लेखा तैयार किये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश

1 – उद्देश्य :–

जिला आय अनुमानों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार स्थानीय निकायों का उनकी प्राप्तियों एवं भुगतान के लेखों के आंकड़ों के एकत्रण हेतु सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया गया है।

2– आच्छादन (Coverage) :–

प्रत्येक जनपद में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/छावनी परिषद/विकास प्राधिकरण(जहां हो)/जल संस्थान(जहां हो)/जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत से उपर्युक्त विषयक आंकड़े प्राप्त किये जाने हैं।

3– स्थानीय निकायों के आय व्ययक वर्गीकरण तथा स्थानीय निकाय की आय–व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आंकड़ों से भिन्नता :–

उपर्युक्त दोनों कार्य प्रभाग में क्रमशः वर्ष 1975 तथा 1967 से किये जा रहे हैं, परन्तु उक्त दोनों कार्यों में स्थानीय निकायों का सम्पूर्ण आच्छादन(Coverage) जैसा कि उपर्युक्त बिन्दु–2 में बताया गया है, नहीं हो पाता है। अतः सम्पूर्ण अच्छादन का निर्णय इस कार्य अर्थात स्थानीय निकायों का प्राप्तियों एवं भुगतानों के आधार पर लेखा तैयार करने के सम्बन्ध में किया जाना है। तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण तथा आय–व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आंकड़े पूर्व की भांति प्रभाग मुख्यालय को भेजे जाते रहेंगे।

4– भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के फलस्वरूप स्थानीय निकाय, स्थानीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है तथा स्थानीय स्तर पर चुना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय निकायों की सूची में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र में स्थानीय निकायों की सूची में नगर निगम, नगर पालिका, छावनी परिषद तथा नगर पंचायत हैं। यद्यपि प्रदेश के कतिपय जनपदों में कार्यरत विकास प्राधिकरण/जल संस्थान उपरोक्त स्थानीय निकाय की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं तथापि जिला आय अनुमान तैयार करते समय इनके द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर किये जा रहे विकासात्मक कार्यों के दृष्टिगत, इनके भी आंकड़े इस सर्वेक्षण में संग्रहित किये जाएंगे।

5– भारत सरकार के सांख्यिकीय सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G को दृष्टिगत रखते हुए इस सर्वेक्षण हेतु अनुसूचियाँ तैयार की गयी हैं। भारत सरकार द्वारा उक्त अनुसूची को तैयार करते समय इस तथ्य को मुख्य रूप से ध्यान में रखा गया है कि संविधान की धारा 243G के अन्तर्गत Schedule–11 तथा संविधान की धारा 243W के अन्तर्गत Schedule–12 के अन्तर्गत ऐसे विषय जो राज्य सरकारों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को स्थानान्तरित किये जाने हैं, जिनकी संख्या क्रमशः 29 व 18 है, इस सर्वेक्षण प्रपत्रों में सम्मिलित हैं।

6– सर्वेक्षण हेतु निर्धारित अनुसूचियों पर सूचना स्थानीय निकायों द्वारा उनके तैयार खातों के आधार पर एकत्रित की जाएगी।

7– अनुसूची को भरने के लिये निर्देश :– अनुसूची में प्रत्येक खण्ड के प्रत्येक मद में सूचना तीन वित्तीय वर्षों यथा 2011–12, 2012–13 व 2013–14 के लिए भरी जाएगी।

खण्ड – 0 पहचान सम्बन्धी विस्तृत विवरण

जैसा कि खण्ड – 0 के शीर्षक से स्पष्ट है कि यह स्थानीय निकाय की पहचान से सम्बन्धित सूची के संग्रहण का खण्ड है, जिसकी सभी मदें यद्यपि सुस्पष्ट हैं तथापि मदों के अनुसार सूचना निम्नवत् भरी जाएंगी।

मद–1 राज्य का नाम – इस मद में उत्तर प्रदेश अंकित किया जाएगा।

मद–2 जनपद का नाम – स्थानीय निकाय की अवस्थिति के अनुसार जिस जनपद में उक्त स्थानीय निकाय अवस्थित है, उस जनपद का नाम भरा जाएगा। जनपद का कोड जनगणना 201 के जनपद के कोड के अनुसार होगा।

मद–3 तहसील/विकास खण्ड का नाम – इस मद में स्थानीय निकाय के अवस्थिति के अनुसार पहले तहसील का नाम एवं तदोपरान्त विकास खण्ड का नाम भरा जाएगा।

मद–4 – इस मद के अन्तर्गत कुल 2 उप मदें हैं तथा मद के अन्तर्गत स्थानीय निकाय का प्रकार तथा उसका स्तर अंकित किया जाना है।

मद 4.1 – केवल ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु भरा जाएगा। इसके उत्तर में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत पूर्व से ही अंकित होगा, जिनमें से स्थानीय निकाय के प्रकार के अनुसार किसी एक पर टिक मार्क किया जाना है।
मद 4.2 – उक्त मद केवल नगरीय क्षेत्र हेतु भरा जाएगा। इसके उत्तर में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/अन्य पूर्व से ही अंकित होगा, जिनमें से एक पर टिक मार्क किया जाएगा। अन्य की स्थिति में स्थानीय निकाय के प्रकार का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाए।

मद–5 स्थानीय निकाय का नाम – इसके उत्तर में स्थानीय निकाय का नाम, जिसके लिए सूचना भरी जा रही है, लिखा जाएगा।

मद–6 स्थानीय निकाय का कोड (कोड/राज्य स्तर पर यदि कोई क्रमांक दिया गया है) – इसके उत्तर में **सर्वेक्षण के समय खाली छोड़ दिया जाएगा** तथा प्रपत्र जमा होने के बाद अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय में उक्त को भरे जाने के सम्बन्ध में पृथक से निर्देश दिये जाएंगे।

मद–7 स्थानीय निकाय के अन्तर्गत ग्रामों/वार्डों की संख्या – इसके उत्तर में ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निकायों के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों की संख्या तथा नगरीय क्षेत्र के स्थानीय निकायों के अन्तर्गत में वार्डों की संख्या अंकित की जाएगी।

मद–8 यह सूचना केवल स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत होने की दशा में भरी जानी है तथा उक्त निकाय के अन्तर्गत जितने भी राजस्व ग्राम आच्छादित होंगे, उन सभी के नाम दिये जाने हैं।

मद–9 स्थानीय निकाय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अच्छादित जनसंख्या (जनगणना 2011) – इस मद में जनगणना 2011 के अनुसार सूचना अंकित की जानी है।

मद–10 स्थानीय निकाय के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्रफल (भौगोलिक) – उक्त सूचना वर्ग किलोमीटर की इकाई में अंकित की जानी है।

मद–11 क्या ग्राम पंचायत द्वारा उचित लेखा रखा जा रहा है – इसका उत्तर हाँ या नहीं में देना है। यदि उत्तर हाँ है, तो अंतिम आडिट लेखा का वर्ष लिखें।

मद–12 इस मद के अन्तर्गत 4 उप मदें हैं, जिनको स्थानीय निकाय के उस कार्मिक द्वारा जो अनुसूची भरेगा, का विवरण अंकित किया जाना है। इसके उपमद (a) में स्थानीय निकाय के उक्त कार्मिक का नाम। उपमद (b) में उसका पदनाम व विभाग का नाम। उपमद (c) में उक्त कार्मिक का मोबाइल नंबर तथा उपमद (d) के अन्तर्गत 4 अन्य उपमदें हैं, जिसमें उक्त कार्मिक के स्वयं के बैंक खाते सम्बन्धी विवरण को दर्ज किया जाना है, जो इस प्रकार है – (i) बैंक का नाम जहां कार्मिक का खाता है, (ii) – बैंक शाखा का नाम, (iii) – बैंक शाखा का IFSC कोड तथा (iv) कार्मिक का खाता संख्या। स्थानीय निकाय के उक्त कार्मिक की उक्त सभी सूचनाओं को अवश्य भरा जाए ताकि मानदेय भुगतान के समय ई–पेमेन्ट में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

मद–13 – इस मद में सर्वेक्षणकर्ता जो स्थानीय निकाय के कार्मिक द्वारा भरी गयी अनुसूची का परीक्षण एवं पुष्टि करेगा, का विवरण अंकित किया जाना है। इस मद की सभी उपमदें मद–12 के अनुसार ही हैं। ध्यान इस बात का रखना होगा कि इसमें उस कार्मिक का ही विवरण अंकित करना है, जो स्थानीय निकाय के कार्मिक द्वारा भरी गयी उक्त अनुसूची का अभिलेखों के आधार पर परीक्षण, पुष्टि एवं एकत्रीकरण करेगा।

खण्ड 1 – प्राप्तियाँ

I – चालू प्राप्तियाँ

इस खण्ड के अन्तर्गत कुल 3 मुख्य स्तम्भ हैं, जिसमें क्रमशः क्रमांक, मद का नाम, धनराशि (रू0 में) अंकित की जानी है।

कर – करों के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा अपने कर संग्रह में से दिया गया अंश भी सम्मिलित होगा।

मद–1 प्रत्यक्ष कर – इस मद के अन्तर्गत 3 उपमदें हैं। उपमद–1 में भू–राजस्व की सूचना अंकित की जानी है। उपमद–2 में सम्पत्ति कर जिसके अन्तर्गत भूमि तथा भवन कर होगा, की सूचना दी जानी है। उपमद–3 में अन्य प्रत्यक्ष करों जिसके अन्तर्गत 1–वृत्ति/व्यावसायिक कर, 2–जल कर, 3–ड्रेनेज कर, 4–विशेष कर, 5–कारपोरेट कर, 6–आय पर कर, 7–होटल प्राप्ति कर, 8–अन्य कर, 9–इस्टेट ड्यूटी, 10–सम्पत्ति पर कर तथा 11–उपहार पर कर सम्मिलित है।

मद–2 अप्रत्यक्ष कर – अप्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत 4 उप मदें हैं :–

उपमद–1 में वाहनों पर कर, जिसके अन्तर्गत ठेला, गाड़ी, इक्का, तांगा आदि पर स्थानीय निकायों द्वारा लगाया गया कर दर्शाया जाना है। यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि निजी प्रयोग में आने वाली साइकिल तथा मोटर गाड़ियों पर लगाया गया कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है।

उपमद–2 के अन्तर्गत मनोरंजन कर की सूचना दी जानी है। मनोरंजन कर के अन्तर्गत तमाशों, प्रदर्शनियों, सर्कस, जादू के खेल इत्यादि जो सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किये जाते हैं, पर स्थानीय निकाय द्वारा लिया जाने वाला कर सम्मिलित होगा। उक्त के अतिरिक्त सिनेमा हाल से मनोरंजन कर का वह अंश जो स्थानीय निकाय को प्राप्त होता है, की प्रविष्टि भी इस मद के अन्तर्गत की जाएगी।

उपमद–3 स्टाम्प ड्यूटी :– स्थानीय निकायों को रजिस्ट्री विभाग से प्राप्त होने वाले कर का अंश अथवा सरचार्ज का अंश जो स्टाम्प ड्यूटी इत्यादि पर लगाया जाता है, की धनराशि इस मद में अंकित की जाएगी।

उपमद–4 अन्य अप्रत्यक्ष कर :– अन्य अप्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत वध–शाला से शुल्क, व्यापार, आजीविका और व्यवसायों पर कर विषयक धनराशि अंकित की जाएगी। उक्त के अतिरिक्त अन्य अप्रत्यक्ष कर के सर्वेक्षण में निम्न कर भी सम्मिलित हैं :– विज्ञापन कर, प्रकाश कर, खनिज पदार्थों पर लगा सेस, स्वच्छता से सम्बन्धित शुल्क, व्यापार कर, सेवा कर, यात्री कर तथा सामग्री पर कर।

मद–3 व्यावसायिक प्राप्तियाँ – इसके अन्तर्गत स्थानीय निकायों द्वारा संचालित व्यावसायिक गतिविधयों के सापेक्ष जो धनराशि प्राप्त हो रही है, उनको सम्मिलित किया जायेगा, जैसे पेयजल की बिक्री, टिम्बर की बिक्री, दुग्ध की बिक्री, विद्युत की बिक्री से प्राप्त प्राप्तियाँ यदि हो, तथा स्थानीय निकायों को उनके उपलब्ध परिवहन संसाधनों की सेवाएं देने पर हुई प्राप्तियाँ, दर्शायी जाएंगी।

मद–4 वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री – इस मद में कुल 16 उपमदें दर्शायी गयी हैं। सभी उपमदें अपने शीर्षक से स्वतः स्पष्ट हैं, तथापि उपमदों के विषय में विवरण निम्नवत् है :–

उपमद 4.0 – सभी उपमदों के योग को यहाँ दर्शाया जाये।

उपमद 4.1 सामान्य सेवाएं – इस उपमद के अन्तर्गत जन सामान्य की सेवाएं हेतु ऐसी कोई सुविधा जो स्थानीय निकाय द्वारा मूल्य लेकर उन्हें उपलब्ध करायी जाती है तथा ऐसी सेवा नीचे वर्णित अन्य किसी मद में नहीं दर्शित है, से सम्बन्धित धनराशि यदि कोई हो, का उल्लेख इसके सम्मुख किया जाएगा। उदाहरणार्थ गनी बैग की बिक्री से प्राप्त आय।

उपमद 4.2 शिक्षा सेवाएं – स्थानीय निकाय द्वारा संचालित शिक्षा सम्बन्धी आय का उल्लेख इसके सम्मुख किया जाना है, अर्थात यदि स्थानीय निकाय द्वारा कोई विद्यालय संचालित हो रहा है अथवा कोई सार्वजनिक पुस्तकालय है, तो उसकी सदस्यता का शुल्क इस मद में अंकित किया जाएगा।

उपमद 4.3 स्वास्थ्य सेवाएं – इसके अन्तर्गत स्थानीय निकायों द्वारा संचालित चिकित्सा सुविधा से सम्बन्धित कोई केन्द्र, अस्पताल इत्यादि संचालित हो रहा हो तो उस दशा में जन सामान्य से उक्त सुविधा उपभोग करने हेतु प्राप्त शुल्क, इस श्रेणी में रखा जाएगा। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि स्थानीय निकाय द्वारा स्वास्थ्य कार्मिकों को कोई प्रशिक्षण इत्यादि दिया जाता है, जिसके लिए उनसे शुल्क प्राप्त किया जाता है, तो ऐसा शुल्क स्थानीय निकाय की शिक्षा सम्बन्धी आय में सम्मिलित होगा न कि स्वास्थ्य सम्बन्धी।

उपमद 4.4 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी सेवाएं – इस मद के अन्तर्गत बेरोजगारी से सम्बन्धित सुविधा, वृद्धावस्था पेंशन, दुर्घटना में चोट लगने पर अथवा बीमारी की दशा में उसकी प्रतिपूर्ति तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं जो आय में क्षति होने पर प्रतिपूर्ति हेतु दी जाती हैं इत्यादि से सम्बन्धित स्थानीय निकाय को किसी स्रोत से कोई धनराशि प्राप्त होती है, वह सम्मिलित होगी।

उपमद 4.5 आवासीय एवं सामुदायिक सुविधा सेवाएं – यदि स्थानीय निकाय को आवासीय एवं सामुदायिक सुविधा की सेवा हेतु कोई धनराशि प्राप्त होती है तो इस मद में अंकित की जाएगी। उदाहरणार्थ यदि स्थानीय निकाय द्वारा संचालित कोई धर्मशाला या रैन बसेरा या पर्यटक स्थल पर कोई हट इत्यादि की व्यवस्था की गयी हो, जिसका Nominal शुल्क स्थानीय निकाय द्वारा लिया जाता हो, तो वह धनराशि यहां अंकित की जाएगी।

उपमद 4.6 सांस्कृतिक, मनोरंजन व धार्मिक सेवाएं – इस मद के अन्तर्गत स्थानीय निकायों द्वारा यदि कोई सांस्कृतिक गतिविधि शुल्क लगाकर जन सामान्य के मनोरंजनार्थ उपलब्ध करायी जाती है जैसे नौटंकी/नाटक इत्यादि तो उक्त प्राप्त धनराशि की सूचना इस मद में अंकित की जाएगी।

उपमद 4.7 कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा आखेटन – इन गतिविधियों से सम्बन्धित कोई शुल्क, यदि कोई हो, तो इस मद में अंकित किया जाएगा।

उपमद 4.8 विनिर्माण – स्थानीय निकाय द्वारा क्षेत्र विशेष में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को यदि किसी उद्योग विशेष में कुशल कारीगरों को सशुल्क उपलब्ध कराया जाता है तो उससे प्राप्त होने वाली आय इस मद में सम्मिलित की जा सकती है। उदाहरणार्थ टोकरी इत्यादि बनाने हेतु तदविषयक सामग्री को उपलब्ध कराया जाना। उक्त के अतिरिक्त अन्य लघु उद्योग जैसे फाइल कवर इत्यादि बनाया जाना जो स्थानीय निकाय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संचालित किये जाते हैं, से प्राप्त होने वाली आय भी इस मद में सम्मिलित की जा सकती है।

उपमद 4.9 विद्युत एवं गैस – इस उपमद में प्रदेश में स्थानीय निकायों को कोई प्राप्ति नही हो रही है।

उपमद 4.10 जल आपूर्ति – स्थानीय निकायों द्वारा प्रदेश में अधिकांश जनपदों में सीधे जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इस हेतु जन सामान्य से जो जल मूल्य इत्यादि लिया जाता है, उसकी प्रविष्टि इस मद में की जाएगी।

उपमद 4.11 परिवहन – यदि स्थानीय निकायों द्वारा उनके यहां उपलब्ध परिवहन सुविधा यथा ट्रॉली, ट्रैक्टर, रोलर, जे0सी0बी0 मशीन इत्यादि शुल्क लेकर उपलब्ध करायी जाती है तो उक्त धनराशि की सूचना इस मद के सम्मुख अंकित की जाएगी।

उपमद 4.12 निर्माण – निर्माण से सम्बन्धित स्थानीय निकायों को जो आय होगी उसकी प्रविष्टि इसके सम्मुख की जानी है। उदाहरणार्थ यदि बिजली अथवा टेलीफोन लाइन डालने हेतु सड़क इत्यादि काटी जाती है, तो उसका अंकन इस मद के सम्मुख किया जाएगा।

उपमद 4.13 पर्यावरण संरक्षण – स्थानीय निकायों द्वारा यदि किसी सार्वजनिक पार्क इत्यादि में पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित कोई कार्य किया जाता हो, जैसे रेन वाटर हारवेस्टिंग कार्य तथा तत्सम्बन्धी शुल्क पार्क में आने वाले स्थानीय निवासियों से प्राप्त किया जाता है, तो ऐसी धनराशि इस मद के सम्मुख अंकित की जाएगी। उक्त के अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण करने के लिए स्थानीय निवासियों को उनके यहां उपलब्ध नर्सरी से सशुल्क पौध इत्यादि उपलब्ध करायी जाती है, तो उसकी सूचना भी इसके सम्मुख अंकित की जाएगी।

उपमद 4.14 आपदा राहत – आपदा राहत कार्यों हेतु किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक आपदा आने पर जैसे अतिवृष्टि, बाढ़, भूकम्प इत्यादि होने पर यदि राहत कैंप प्रशासन द्वारा चलाया जाता है एवं उक्त में रियायती दरों पर स्थानीय निकाय द्वारा भी राहत सामग्री उपलब्ध करायी जाती है तो ऐसी धनराशि का अंकन इस मद में किया जाएगा।

उपमद 4.15 स्वच्छता – इस मद के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर स्थानीय निकाय के माध्यम से की जाने वाली स्वच्छता विषयक कार्यों से प्राप्त शुल्क की धनराशि अंकित की जाएगी। उक्त के अतिरिक्त स्थानीय निकाय द्वारा यदि अपशिष्ट पदार्थों को रिसाइकिल करके खाद इत्यादि के रूप में विक्रय किया जाता है, तो उससे प्राप्त होने वाली आय भी इसी मद के सम्मुख अंकित की जाएगी।

उपमद 4.16 अन्य – ऊपर बताए गए 16 उपमदों के अतिरिक्त यदि स्थानीय निकाय को किसी अन्य स्रोत से आय प्राप्त होती है, तो उसको इस मद के सम्मुख दर्शाया जाएगा। उदाहरणार्थ मानचित्र शुल्क, अभिलेखों से सम्बन्धित छायाप्रति शुल्क इत्यादि।

मद–5 शुल्क, दण्ड व अन्य विविध सेवाएं :– इस मद के अन्तर्गत जन्म मृत्यु पंजीकरण हेतु प्राप्त शुल्क, तहबाजारी शुल्क, कांजी हाउस का जुर्माना, नजूल से प्राप्त आय, अनुज्ञप्ति शुल्क इत्यादि सम्मिलित होंगे।

मद–6 सम्पत्ति से आय :– स्थानीय निकायों को उनकी सम्पत्ति से होने वाली आय की प्रविष्टि इस मद के अन्तर्गत की जानी है, जिसमें 2 उपमदें हैं। **उपमद–1** में ब्याज से सम्बन्धित प्राप्तियाँ प्रविष्ट की जाएंगी। ब्याज प्राप्तियों के अन्तर्गत स्थानीय निकायों की वित्तीय आस्तियों (बाण्ड) पर प्राप्त होने वाला ब्याज सम्मिलित होगा। **उपमद–2** में किराया एवं उपस्कर के अन्तर्गत स्टाफ क्वार्टर किराया, विभागीय भवनों से प्राप्त किराया, गेस्ट हाउस किराया, प्रेक्षागृह किराया, दुकान किराया, तांगा स्टैण्ड किराया इत्यादि सम्मिलित होंगे।

मद–7 चालू अनुदान :– इस मद के अनतर्गत 4 उपमदें हैं, जिनमें **उपमद–1** में केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान, **उपमद–2** में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, जिसके अन्तर्गत बच्चों एवं महिलाओं के कल्याण हेतु अनुदान, यात्रा भत्ता अनुदान, वृद्धावस्था पेंशन अनुदान, वेतन एवं भत्तों हेतु अनुदान, शिक्षा अनुदान तथा कंटिन्जेन्सी हेतु अनुदान इत्यादि सम्मिलित होंगे।

उपमद–3 के अन्तर्गत अन्य स्थानीय निकायों द्वारा यदि कोई अनुदान दिया जाता है, तो उसकी धनराशि अंकित की जाएगी।

उपमद–4 के अन्तर्गत अन्य अनुदानों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य स्थानीय निकायों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदानों को सम्मिलित किया जायेगा यथा साक्षरता मिशन द्वारा प्रौढ़ शिक्षा अभियान, केयर द्वारा मिड–डे मील इत्यादि के लिये दिया गया अनुदान।

मद–8 डिपाजिट निधि से आहरण :– इस मद के अन्तर्गत ठेकेदारों की प्रतिभूतियों एवं निक्षेप से प्राप्त होने वाली आय को सम्मिलित किया जायेगा।

II – पूँजीगत प्राप्तियाँ

अनुसूची के इस खण्ड पूँजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत मुख्य रूप से भारत सरकार से अथवा राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान/Grants के विषय में सूचना भरी जानी है। अनुसूची में इस हेतु 3 मुख्य स्तम्भ निर्धारित हैं। प्रथम में क्रम संख्या द्वितीय में अनुदान का विस्तृत विवरण तथा तृतीय स्तम्भ में उसके सम्मुख धनराशि अंकित की जानी है।

मद–1 के अन्तर्गत अनुदानों का उल्लेख होना है। इस मद की 4 उपमदें हैं।

उपमद–1 में केन्द्र/भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों का उल्लेख किया जाना है। उक्त अनुदानों में अनुसूची में कुल 6 उपमदें निर्धारित हैं, जिनमें प्रथम मनरेगा, दूसरा सर्व शिक्षा अभयान, तीसरा इन्दिरा आवास योजना, चौथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पांचवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तथा छठा अन्य। केन्द्रीय अनुदान से प्राप्त सम्बन्धित धनराशि का विवरण उनके सम्मुख किया जाना है। यहां यह उल्लेखनीय है कि मनरेगा के अन्तर्गत जो भी धनराशि स्थानीय निकाय को प्राप्त होती है, उसे पूर्ण रूप से पूँजीगत प्राप्तियों में ही दर्शाया जाना है, भले ही उक्त धनराशि श्रमांश एवं सामग्री दोनों के लिए प्राप्त हुई हो। इसका मुख्य कारण यह है कि मनरेगा के अन्तर्गत स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन ही मुख्य उद्देश्य है। सर्वशिक्षा अभियान की सम्पूर्ण प्राप्त धनराशि को भी पूँजीगत प्राप्तियों में ही दर्शाया जाना है। इसी प्रकार इन्दिरा आावास, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भी कुल धनराशि को पूँजीगत प्राप्तियों में ही दर्शाया जाना है।

उपमद–2 के अन्तर्गत इन्हीं 6 मदों में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान का उल्लेख किया जाना है।

उपमद–3 के अन्तर्गत यदि किसी स्थानीय निकाय को किसी अन्य स्थानीय निकाय से कोई धनराशि पूँजीगत प्राप्तियों के रूप में प्राप्त होती है, तो उसका उल्लेख इसके सम्मुख किया जाएगा। उदाहरार्थ किसी जिला पंचायत द्वारा किसी क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत को किसी क्षेत्र विशेष में कोई

कार्य करने हेतु जैसे पुलिया इत्यादि बनाने हेतु धनराशि दी जाती है, तो उक्त का उल्लेख इस मद के सम्मुख किया जाएगा।

उपमद–4 के अन्तर्गत यदि स्थानीय निकाय को कहीं अन्य से अनुदान/Grant प्राप्त होता है तो उसका उल्लेख किया जाएगा। उदाहरणार्थ किसी स्थानीय निकाय को राष्ट्रीयकृत बैंकों की वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु किसी प्रकार की कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो उसका उल्लेख इस मद के सम्मुख किया जाएगा।

मद–2 वित्तीय आस्तियों की बिक्री से प्राप्त धनराशि – इस मद के अन्तर्गत किसी स्थानीय निकाय द्वारा वित्तीय आस्तियाँ अर्थात बान्ड्स, शेयर्स इत्यादि के विक्रय से जो धनराशि प्राप्त होती है, उसका उल्लेख इसके सम्मुख किया जाएगा।

मद–3 भूमि का विक्रय – इस मद के अन्तर्गत 2 उपमदें हैं। पहला प्रशासन तथा दूसरा विभागीय वाणिज्यिक इकाई।

उपमद–1 के अन्तर्गत यदि किसी स्थानीय निकाय द्वारा स्वयं अपनी भूमि किसी कार्य हेतु बेची जाती है, उदाहरणार्थ विद्यालय निर्माण, चिकित्सालय निर्माण, गोदाम निर्माण इत्यादि तो उससे प्राप्त धनराशि इस मद के सम्मुख अंकित की जाएगी।

उपमद–2 के अन्तर्गत यदि किसी स्थानीय निकाय की किसी विभागीय वाणिज्यिक इकाई द्वारा यही कार्य किया जाता है, तो उसका अंकन इस मद में होगा। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः स्थानीय निकायों की विभागीय वाणिज्यिक इकाई कार्यरत नहीं हैं।

मद–4 के अन्तर्गत सेकेन्ड हैण्ड (अधिग्रहीत) भवनों की बिक्री से प्राप्त अथवा अन्य आस्तियों की बिक्री से प्राप्त आय का उल्लेख निर्धारित स्थान पर किया जाना है।

खण्ड 2 – व्यय

खण्ड–2 के अन्तर्गत 2 उप–खण्ड हैं।

I – चालू व्यय

इस उपखण्ड में चालू व्यय के विषय में विभिन्न सूचनाएं भरी जानी है। अनुसूची में इस हेतु कुल 16 स्तम्भ निर्धारित हैं, जिसमें प्रथम स्तम्भ में क्रम संख्या, दूसरे में मद का नाम, तीसरे स्तम्भ में वर्ष, चौथे स्तम्भ में उक्त मद के सम्मुख वेतन, पांचवे में मजदूरी, छठे में लाभ, सातवें में पेंशन, आठवें में वस्तुओं व सेवाओं का क्रय, 9.1 में अनुरक्षण के अन्तर्गत भवन पर व्यय, 9.2 में मरम्मत के अन्तर्गत सड़क पर व्यय, 9.3 में मरम्मत के अन्तर्गत अन्य निर्माण कार्यों पर व्यय, का उल्लेख किया जाना है। स्तम्भ 10 में चालू अंतरण, 11 में अनुदान, 12.1 में ब्याज की अदायगी केन्द्र सरकार को, 12.2 में ब्याज की अदायगी राज्य सरकार को, तथा 12.3 में ब्याज की अदायगी जो अन्य संस्थाओं को किया गया, के व्यय का उल्लेख किया जाना है। इस खण्ड में कुल निर्धारित मदों की संख्या 16 हैं जो क्रमशः सामान्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी सेवाएं, आवासीय एवं सामुदायिक सुविधा सेवाएं, सांस्कृतिक, मनोरंजन एवं धार्मिक सेवाएं, कृषि, वानिकी, मत्स्य एवं आखेटन, विनिर्माण, विद्युत एवं गैस, जलापूर्ति, परिवहन, निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, आपदा राहत, स्वच्छता सम्बन्धी तथा अन्य सेवाओं से सम्बन्धित व्यय का विवरण उपर्युक्त 13 स्तम्भों में दिया जाना है। जहां तक स्तम्भों का प्रश्न है, उसके विषय में मुख्य ध्यान रखने योग्य बात निम्नवत् है :–

1– वेतन – इस स्तम्भ में विविध सेवा, वर्गवार वर्ष में कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते के अन्तर्गत इनके कार्यों हेतु दिया गया कुल वेतन जिसमें सभी प्रकार के भत्ते सम्मिलित होंगे, के भुगतान विषयक सूचना अंकित की जानी है।

2– मजदूरी – इस स्तम्भ में विभिन्न सेवा वर्गवार 16 मदों के सम्मुख कार्यों में लगाए गए मजदूरों को भुगतान की गयी मजदूरी की धनराशि अंकित की जानी है।

3– अन्य सुविधाएं एवं लाभ – यदि स्तम्भ 2 की 16 मदों के अन्तर्गत अन्य सुविधाओं/लाभ हेतु कोई धनराशि स्थानीय निकाय द्वारा व्यय की जा रही है, तो उसका उल्लेख इस स्तम्भ में उक्त मद के सम्मुख किया जाएगा। उदाहरणार्थ कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा सुविधा, अल्प आय वर्ग के कार्मिकों के बच्चों को मुफ्त पुस्तकों का उपलब्ध कराना, इत्यादि सूचनाएं निर्धारित मद के सम्मुख अंकित की जा सकती हैं।

4– पेंशन – इस स्तम्भ के अन्तर्गत स्थानीय निकाय, जो स्वयं सेवायोजक हैं, द्वारा पेंशन अंशदान, प्रोविडेन्ट फण्ड अंशदान, इत्यादि का उल्लेख किया जाना है।

5– वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय – इस स्तम्भ में स्तम्भ–2 में दर्शित विभिन्न मदों की सेवाओं के लिए व्यय की गयी धनराशि का उल्लेख किया जाएगा। उदाहरणार्थ लेखन सामग्री का क्रय, ईंधन व्यय, मुद्रण व्यय, टेलीफोन व्यय, विद्युत बिलों का व्यय, वाहनों का परिचालन, सामयिक पुस्तिकाओं पर किया गया व्यय, औषधियों पर व्यय, विधिक व्यय इत्यादि सम्मिलित होंगे।

6– अनुरक्षण–इस स्तम्भ में अनुरक्षण विषयक सूचना 3 पृथक–पृथक स्तम्भों में भवन अनुरक्षण, सड़क अनुरक्षण तथा अन्य निर्माण का अनुरक्षण हेतु किये गये व्यय, सुसंगत मदों के सम्मुख अंकित किये जाएंगे।

7– चालू अंतरण के अन्तर्गत स्थानीय निकाय द्वारा ऐसे अनुदान जो राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त होते हैं, का हस्तातांतरण सम्बन्धित लाभार्थियों के खाते में किये जाने विषयक सूचना अंकित की जाएगी। उदाहरणार्थ छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि।

8– सब्सिडी – इस स्तम्भ में स्थानीय निकाय द्वारा किसी उत्पादक को दिये जाने वाले अनुदान (subsidies) की धनराशि का उल्लेख किया जाएगा।

9– ब्याज अदायगी – ब्याज अदायगी के 3 स्तम्भों में क्रमशः प्रथम स्तम्भ में भारत सरकार से प्राप्त ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज, दूसरे स्तम्भ में राज्य सरकार से प्राप्त ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज तथा तीसरे स्तम्भ में अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज की धनराशि का अंकन किया जाना है।

II – पूँजीगत व्यय

खण्ड –2 के अन्तर्गत उपखण्ड–2 में पूँजीगत व्यय जो स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा, से सम्बन्धित सूचना 15 स्तम्भों में अंकित की जानी है। पूँजीगत व्यय से सम्बन्धित मद चालू व्यय के समान ही 16 श्रेणियों में वर्गीकृत हैं। इनके सम्मुख व्यय विषयक सूचना जो निर्धारित स्तम्भ में दी जानी है, के विषय में निर्देश इस प्रकार हैः–

1– वित्तीय परिसम्पत्तियों का क्रय – वित्तीय परिसम्पत्तियों का क्रय के अन्तर्गत स्थानीय निकाय द्वारा क्रय किये गये इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड अथवा शेयर इत्यादि पर किया गया व्यय सम्मिलित किया जाएगा।

2– भूमि का क्रय – स्वतः स्पष्ट है।

3– सेकेन्ड हैण्ड परिसम्पत्तियों का क्रय – इसके अन्तर्गत भवनों के क्रय विषयक सूचना तथा परिसम्पित्तियों के क्रय विषयक सूचना पृथक–पृथक स्तम्भों में दर्शायी जाएगी।

4– परिसम्पत्तियों पर पूँजीगत व्यय – इस स्तम्भ में स्थानीय निकाय द्वारा विभिन्न परिसम्पत्तियों के क्रय हेतु जो धनराशि व्यय की जाएगी, उसका उल्लेख निर्धारित स्तम्भ में किया जाएगा। उदाहरणार्थ भवन, सड़क, अन्य निर्माण, पूँजीगत मजदूरी, परिवहन, उपकरण, औजार एवं मशीनरी, साफ्टवेयर, पशुधन तथा cultivated आस्तियाँ। यह सभी स्तम्भ अपने शीर्षक से स्वतः स्पष्ट हैं। तथापि संक्षेप में विवरण इस प्रकार है। **भवन** के अन्तर्गत नवीन निर्माण अथवा पुराने संस्थागत या आवासीय अथवा गैर आवासीय भवन में यदि वृहद परिवर्तन हुआ है जो सामान्य मरम्मत की श्रेणी में नहीं आता है, तो इससे सम्बन्धित व्यय का उल्लेख इस स्तम्भ में किया जाएगा। **सड़क** के अन्तर्गत सड़क एवं पुल जो नए कार्य रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से प्रारम्भ किये गये हैं, से सम्बन्धित व्यय तथा पूर्व से चले आ रहे

सड़क एवं पुलों के सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित व्यय इसमें सम्मिलित किये जाएंगे, परन्तु समान्य प्रकार की मरम्मत का व्यय चालू पूँजीगत व्यय में यथा स्थान दर्शाया जाना है। **अन्य निर्माण कार्य** के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई कार्य, भमि सुधार विषयक कार्य, ग्रामीण पेयजल योजना एवं स्वच्छता विषयक कार्य, सिंचाई परियाजना के सुदृढ़ीकरण हेतु किये गये कार्य इत्यादि से सम्बन्धित व्यय का उल्लेख किया जाएगा। **पूँजीगत मजदूरी** के अन्तर्गत श्रमिकों को ऐसे कार्यों के लिए मजदूरी का भुगतान जिसमे स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन का उद्देश्य निहित हो, के व्यय का उल्लेख किया जाएगा। उदाहरणार्थ मनरेगा। **परिवहन उपकरण** के अन्तर्गत कार, जीप, आटो, दो पहिया तथा ट्रक इत्यादि के क्रय हेतु व्यय अथवा अन्य चल रहे वाहनों पर भारी मरम्मत विषयक व्यय इस स्तम्भ में अंकित किया जाएगा। **औजार एवं मशीनरी** के अन्तर्गत नई मशीनों का क्रय जैसे जेनरेटर, एयर कंडीशनर, फोटाकापियर मशीन, नया फर्नीचर तथा इसी प्रकार के पुराने सामानों पर भारी मरम्मत विषयक व्यय इसमें सम्मिलित किया जाएगा। **साफ्टवेयर** के अन्तर्गत कम्प्यूटर के क्रय हेतु उसके मूल्य के 20 प्रतिशत का व्यय तथा अन्य साफ्टवेयर क्रय करने हेतु किया गया व्यय सम्मिलित किया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि कम्प्यूटर क्रय के व्यय का 80 प्रतिशत भाग की धनराशि, उपकरण एवं मशीनरी के स्तम्भ में दर्शायी जाएगी। **पशुधन** के अन्तर्गत पशुधन क्रय हेतु किया गया व्यय सम्मिलित होगा। इसमें मुख्य रूप से ऐसे पशु जिन से स्थानीय निकाय की आय में वृद्धि हो, से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। **Cultivated आस्तियों** के अन्तर्गत पोल्ट्री फार्म, मौन पालन तथा बागबानी इत्यादि से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित होगा।

5– पूँजी अंतरण – इस स्तम्भ में ऐसी सभी निधियाँ सम्मिलित होंगे जो स्थानीय निकाय द्वारा पूँजीगत कार्यों हेतु अन्य संस्थाओं अथवा लाभार्थी को दी जाती हैं।

6– स्थायी स्टाक में परिवर्तन – इस स्तम्भ में ऐसे व्यय की सूचना अंकित की जानी है, जो स्थानीय निकाय द्वारा उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से स्टाक बढ़ाने के लिये किया जाता है। इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष सीमेन्ट, लोहा, स्टील इत्यादि के क्रय में प्रयुक्त धनराशि का उल्लेख किया जाएगा।

खण्ड 3 – निधियाँ

इस खण्ड में स्थानीय निकाय के फण्ड/कोष/निधि विषयक सूचना अंकित की जानी है। इसमें मुख्य रूप से 8 स्तम्भ हैं। स्तम्भ 3, 5 व 7 में वर्षवार प्राप्तियाँ तथा स्तम्भ 4,6 व 8 में वर्षवार व्यय की सूचना, स्तम्भ 2 में उल्लिखित मद के सम्मुख अंकित की जानी है।

मद–1 ऋण – इस मद में ऋण विषयक सूचना दी जानी है। यदि ऋण केन्द्र सरकार से प्राप्त होता है तो उसकी सूचना प्राप्तियों में और केन्द्र सरकार से ऋण पर मूलधन की वापसी की सूचना व्यय में अंकित की जाएगी। इसी प्रकार राज्य सरकार से प्राप्त ऋण विषयक सूचना निर्धारित प्राप्तियों व व्यय के सत्म्भ में अंकित की जाएगी। अन्य स्थानीय निकायों से प्राप्त ऋण की सूचना मद 1.3 के सम्मुख उपरोक्तानुसार ही अंकित की जाएगी। मद 1.4 वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंक, इत्यादि से प्राप्त ऋण अथवा उस ऋण के उपभोग अथवा ऋण के उपभोग पर ब्याज इत्यादि की सूचना उपरोक्तानुसार ही दी जाएगी। मद 1.5 के अन्तर्गत अन्य स्रोतों से प्राप्त ऋण यदि कोई हो, तो उक्त विषयक सूचना अंकित की जानी है।

मद–2 धन प्रेषण – किसी संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को नियमित रूप से किसी कार्य हेतु धनराशि का भुगतान किया जाता है अथवा उससे प्राप्त किया जाता है, तो उसका उल्लेख इस मद के सम्मुख किया जाएगा।

मद–3 आंतरिक ऋण – इस मद के अन्तर्गत किसी स्थानीय निकाय द्वारा उसकी अपनी ही प्रशासनिक इकाई के अन्तर्गत कार्य करने वाली किसी इकाई द्वारा किसी कार्य विशेष हेतु कोई ऋण अथवा फण्ड ट्रान्सफर किया जाता है, तो उक्त से सम्बन्धित सूचना इस मद में अंकित की जानी है।
मद–4 अल्प बचत तथा प्रोविडेन्ट फण्ड – इस मद के अन्तर्गत स्थानीय निकाय द्वारा राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम के अन्तर्गत की गयी बचत तथा कर्मचारियों के प्रोविडेन्ट फण्ड में निकाय द्वारा किये गये अंशदान तथा कर्मचारियों के प्रोविडेन्ट फण्ड के किये गये भुगतान विषयक धनराशि, प्राप्ति एवं व्यय के स्तम्भ में दर्शायी जाएगी।
मद–5 आरक्षित धनराशि – आरक्षित धनराशि के अन्तर्गत स्थानीय निकाय द्वारा यदि किसी फण्ड को आरक्षित कर दिया गया है तो उसकी सूचना, प्राप्ति एवं व्यय के स्तम्भ में दर्शायी जाएगी।
मद–6 जमा एवं अग्रिम – इसके अन्तर्गत ठेकेदारों से ली गयी प्रतिभूतियों तथा स्टाफ को दिया गया अग्रिम एवं उनसे प्राप्त धनराशि इत्यादि विषयक सूचना इस मद में अंकित की जाएगी।
मद–7 उचंत खाता तथा विविध – इस मद के अन्तर्गत ऐसी धनराशि जो किसी दावेदार के अभाव में व्ययगत नहीं हो पा रही है तो यथा सूचना के अनुसार प्राप्ति एवं व्यय के अन्तर्गत दर्शायी जा सकती है, तो उसका उल्लेख इस मद में किया जाएगा।
मद–8 अन्य फण्ड – उपरोक्त उल्लिखित कोष के अतिरिक्त स्थानीय निकाय के अन्तर्गत कोई अन्य किसी प्रकार का फण्ड हो, तो उसकी सूचना इस मद में दी जानी है।
मद–9 प्रारम्भिक अवशेष – स्थानीय निकाय की कैश बुक में गत वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस को उल्लिखित अवशेष को विचाराधीन वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत प्रारम्भिक अवशेष के रूप में अंकित किया जाएगा।
मद–10 अन्तिम अवशेष – स्थानीय निकाय के पास विचाराधीन वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्यदिवस को, अगले वित्तीय वर्ष हेतु निकाय के पास जो धनराशि उपलब्ध हो, उसकी सूचना इस मद के अन्तर्गत अंकित की जाएगी।

खण्ड 4

ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

इस खण्ड के अन्तर्गत तीन मुख्य स्तम्भ हैं – क्रमांक, मद तथा सम्मिलित राजस्व ग्राम के नाम। सम्मिलित राजस्व ग्राम के नाम के स्तम्भ में अंकित क्रमांक के नीचे ''रिक्त'' स्थान पर राजस्व ग्रामों के नाम तथा उनके नीचे कुल 11 मदों (उपमदों सहित) के अन्तर्गत संदर्भित ग्रामों में उपलब्ध सुविधाओं की अद्यतन् सूचना अंकित की जाएगी। मद संख्या 7(A), 7(B) व 11 में सम्बन्धित मदों के अन्तर्गत ''संख्या'' अंकित की जायेगी, जबकि अवशेष मदों में केवल ''हाँ या नहीं'' में सूचना अंकित की जानी है। यह खण्ड केवल ग्राम पंचायतों के लिये भरा जायेगा तथा अन्य स्थानीय निकायों के प्रकरण में इस खण्ड को ''रिक्त'' छोड़ दिया जाएगा।

------- X ------

Government of India

Central Statistics Office

Schedule for Preparation of Local Bodies Accounts

''स्थानीय निकायों का लेखा'' तैयार करने सम्बन्धी अनुसूची

Rural		*
Urban		

* Please tick (✓) the relevant entry

Block 0 : Identification particulars	
1. Name of State & Code राज्य का नाम एवं कोड	उत्तर प्रदेश (09)
2. Name of District & Code जनपद का नाम एवं कोड	
3. Name of Tehsil/Taluk/Block तहसील का नाम एवं कोड	
4. Type/Level of Local Body स्थानीय निकाय का प्रकार/स्तर	
4.1 In case of Rural (Please tick the relevant entry) ग्रामीण क्षेत्र हेतु	जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत
4.2 In case of Urban (Please tick the relevant entry) नगरीय क्षेत्र हेतु	नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/अन्य
5. Name of Local Body स्थानीय निकाय का नाम	
6. Code of Local Body स्थानीय निकाय का कोड	
7. Number of villages/wards in Local Body स्थानीय निकाय के अन्तर्गत ग्रामों/वार्डों की संख्या	
8. (In case of rural) Name(s) of villages covered under the Gram Panchayat ग्राम पंचायत के अन्तर्गत सम्मिलित ग्रामों के नाम	
9. Total Population covered under the local body(In 2011 Census) स्थानीय निकाय की कुल जनसंख्या (जनगणना 2011)	
10. Area covered under Local Bodies (In Square km) स्थानीय निकाय के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी0 में)	
11. Whether Gram Panchayat is maintaining proper Accounts (Yes or No). (If yes, mention the year, of which audited account is available) क्या पंचायत द्वारा लेखा अभिलेखों को तैयार किया जाता है (हाँ या नहीं) (यदि हाँ, तो अंतिम आडिट वर्ष का उल्लेख करें)	

Block 0 : Identification particulars		
13. Schedule Filled By -		
		(Signature)
(a)	**Name -**	
(b)	**Designation/Dept.-**	
(c)	**Mobile No.**	
(d)	**Bank Account Details**	
(i)	Bank -	
(ii)	Branch Name -	
(iii)	IFSC Code -	
(iv)	ACCOUNT No.-	

12.Schedule Checked By -		
		(Signature)
(a)	**Name -**	
(b)	**Designation/Dept.-**	
(c)	**Mobile No.**	
(d)	**Bank Account Details**	
(i)	Bank -	
(ii)	Branch Name -	
(iii)	IFSC Code -	
(iv)	ACCOUNT No.-	

Block 1 : Receipts
खण्ड – 1 : प्राप्तियाँ

I. Current Receipts
I – चालू प्राप्तियाँ

Sl. No	Description of Item मद का विवरण		Amount धनराशि (in Rs) (रू0 में)		
			2011-12	2012-13	2013-14
1	2		3	4	5
1	**Direct Taxes** **प्रत्यक्ष कर**				
	1.1	Land Revenue भू राजस्व			
	1.2	Property Tax सम्पत्ति कर			
	1.3	Other Direct Taxes अन्य प्रत्यक्ष कर वृत्ति/व्यावसायिक कर/जल कर/ड्रेनेज कर/विशेष कर/कारपोरेट कर/आय पर कर/होटल प्राप्ति कर/अन्य कर/इस्टेट ड्यूटी/सम्पत्ति पर कर/उपहार पर कर			
2	**Indirect Taxes** **अप्रत्यक्ष कर**				
	2.1	Tax on Vehicles वाहनों पर कर			
	2.2	Entertainment Tax मनोरंजन कर			
	2.3	Stamp Duty स्टाम्प ड्यूटी			
	2.4	Other Indirect Taxes अन्य अप्रत्यक्ष कर वध–शाला से शुल्क/व्यापार/आजीविका/व्यवसायों पर कर/विज्ञापन कर/प्रकाश कर/ खनिज पदार्थों पर लगा सेस/स्वच्छता से सम्बन्धित शुल्क/व्यापार कर/सेवा कर/यात्री कर/सामग्री पर कर।			
3	**Commercial Receipts** व्यावसायिक प्राप्तियाँ				
4	**Sale of goods & services** **वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री**				
	4.0	**TOTAL** **योग**			
	4.1	General Public Services सामान्य सेवाएं			
	4.2	Education Services शिक्षा सेवाएं			
	4.3	Health Services स्वास्थ्य सेवाएं			
	4.4	Social Security and Welfare Services सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी सेवाएं			
	4.5	Housing and Community Amenity Services आवासीय तथा सामुदायिक सुविधा सेवाएं			

I. Current Receipts I – चालू प्राप्तियाँ					
Sl. No	Description of Item मद का विवरण		Amount धनराशि (in Rs) (रू0 में)		
			2011-12	2012-13	2013-14
1	2		3	4	5
	4.6	Cultural Recreational and Religious Services सांस्कृतिक, मनोरंजन व धार्मिक सेवाएं			
	4.7	Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting कृषि, वानिकी, मत्स्य व आखेटन			
	4.8	Manufacturing विनिर्माण			
	4.9	Electricity & Gas विद्युत एवं गैस			
	4.10	Water Supply जलापूर्ति			
	4.11	Transport परिवहन			
	4.12	Construction निर्माण			
	4.13	Environment Protection पर्यावरण संरक्षण			
	4.14	Relief on calamities आपदा राहत			
	4.15	Sanitation स्वच्छता			
	4.16	Others अन्य			
5	**Fees, fines & misc. services** **शुल्क, दण्ड व अन्य विविध सेवाएं**				
6	**Property Income** **सम्पत्ति से आय**				
	6.1	Interest receipts ब्याज से प्राप्तियाँ			
	6.2	Rent and Royalty किराया एवं उपस्कर			
7	**Current Grants From** **चालू अनुदान**				
	7.1	Centre केन्द्र			
	7.2	State राज्य			
	7.3	Other local bodies अन्य स्थानीय निकाय			
	7.4	Others अन्य			
8	**Withdrawal from Deposit funds** **डिपाजिट निधि से आहरण**				

II. Capital Receipts ।। – पूँजीगत प्राप्तियाँ					
Sl. No	Description of Item मद का विवरण		Amount धनराशि (in Rs) (रू0 में)		
			2011-12	2012-13	2013-14
1	2		3	4	5
1	**Grants** अनुदान				
	1.1	**From Centre** केन्द्र द्वारा			
		1.1.1 MGNREGA मनरेगा			
		1.1.2 Sarva Shiksha Abhiyan सर्व शिक्षा अभियान			
		1.1.3 Indira Awas Yojna इन्दिरा आवास योजना			
		1.1.4 National Rural Health Mission राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
		1.1.5 PM Gram Sadak Yojna प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना			
		1.1.6 Other Central Grant अन्य केन्द्रीय अनुदान			
	1.2	**From State** राज्य द्वारा			
		1.2.1 MGNREGA मनरेगा			
		1.2.2 Sarva Shiksha Abhiyan सर्व शिक्षा अभियान			
		1.2.3 Indira Awas Yojna इन्दिरा आवास योजना			
		1.2.4 National Rural Health Mission राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
		1.2.5 PM Gram Sadak Yojna प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना			
		1.2.6 Other State Grant अन्य राज्य अनुदान			
	1.3	**Grants from other local bodies** अन्य स्थानीय निकायों द्वारा दिये गये अनुदान			
	1.4	**Grants from others** अन्य द्वारा दिया गया अनुदान			
2	**Sale of Financial Assets** वित्तीय आस्तियों का विक्रय				
3	**Sale of Land** भूमि का विक्रय				
	3.1	Administration प्रशासन			
	3.2	DCU विभागीय वाणिज्यिक इकाई			
4	**Sale of Second hand Assets**				

II. Capital Receipts ।। – पूँजीगत प्राप्तियाँ						
Sl. No	Description of Item मद का विवरण			Amount धनराशि (in Rs) (रू0 में)		
				2011-12	2012-13	2013-14
1	2			3	4	5
	सेकेन्ड हैण्ड परिसम्पत्तियों का					
	4.1	**Sale of Building** भूमि का विक्रय				
		4.1.1	Administration प्रशासन			
		4.1.2	DCU विभागीय वाणिज्यिक इकाई			
	4.2	**Sale of Other Assets** अन्य आस्तियों का विक्रय				
		4.2.1	Administration प्रशासन			
		4.2.2	DCU विभागीय वाणिज्यिक इकाई			

Block 2 : Expenditures

खण्ड 2 : व्यय

I. CURRENT EXPENDITURE (In Rs)

I. चालू व्यय (रू0 में)

S.No.	Items	Accounting Year	Salary	Wages	Benefits	Pensions	Purchase of Goods & Services	9. Maintenance 9. अनुरक्षण			Current Transfers	Subsidies	12. Interest Payments 12. ब्याज अदायगी		
क्र0सं0	मद	लेखा वर्ष	वेतन	मजदूरी	लाभ	पेंशन	वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय	Building भवन	Road सड़क	Other Construction अन्य निर्माण	चालू अंतरण	सब्सिडी	Centre केन्द्र	State राज्य	Others अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9.1	9.2	9.3	10	11	12.1	12.2	12.3
1	General Public Services सामान्य सेवाएं	2011-12													
		2012-13													
		2013-14													
2	Education Services शिक्षा सेवाएं	2011-12													
		2012-13													
		2013-14													
3	Health Services स्वास्थ्य सेवाएं	2011-12													
		2012-13													
		2013-14													
4	Social Security and Welfare Services सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी सेवाएं	2011-12													
		2012-13													
		2013-14													
5	Housing and Community Amenity Services आवासीय एवं सामुदायिक सुविधा सेवाएं	2011-12													
		2012-13													
		2013-14													

I. CURRENT EXPENDITURE (In Rs)
I. चालू व्यय (रू0 में)

S.No.	Items	Accounting Year	Salary	Wages	Benefits	Pensions	Purchase of Goods & Services	9. Maintenance 9. अनुरक्षण			Current Transfers	Subsidies	12. Interest Payments 12. ब्याज अदायगी		
क्र0सं0	मद	लेखा वर्ष	वेतन	मजदूरी	लाभ	पेंशन	वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय	Building भवन	Road सड़क	Other Construction अन्य निर्माण	चालू अंतरण	सब्सिडी	Centre केन्द्र	State राज्य	Others अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9.1	9.2	9.3	10	11	12.1	12.2	12.3
6	Cultural Recreational and Religious Services सांस्कृतिक, मनोरंजक एवं धार्मिक सेवाएं	2011-12													
		2012-13													
		2013-14													
7	Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting कृषि, वानिकी, मत्स्य एवं आखेटन	2011-12													
		2012-13													
		2013-14													
8	Manufacturing विनिर्माण	2011-12													
		2012-13													
		2013-14													
9	Electricity & Gas विद्युत एवं गैस	2011-12													
		2012-13													
		2013-14													
10	Water Supply जलापूर्ति	2011-12													
		2012-13													
		2013-14													
11	Transport परिवहन	2011-12													
		2012-13													
		2013-14													

I. CURRENT EXPENDITURE (In Rs)
I. चालू व्यय (रू0 में)

S.No.	Items	Accounting Year	Salary	Wages	Benefits	Pensions	Purchase of Goods & Services	9. Maintenance 9. अनुरक्षण			Current Transfers	Subsidies	12. Interest Payments 12. ब्याज अदायगी		
क्र0सं0	मद	लेखा वर्ष	वेतन	मजदूरी	लाभ	पेंशन	वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय	Building भवन	Road सड़क	Other Construction अन्य निर्माण	चालू अंतरण	सब्सिडी	Centre केन्द्र	State राज्य	Others अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9.1	9.2	9.3	10	11	12.1	12.2	12.3
12	Construction निर्माण	2011-12													
		2012-13													
		2013-14													
13	Environment Protection पर्यावरण संरक्षण	2011-12													
		2012-13													
		2013-14													
14	Relief on calamities आपदा राहत	2011-12													
		2012-13													
		2013-14													
15	Sanitation स्वच्छता सेवाएं	2011-12													
		2012-13													
		2013-14													
16	Others अन्य	2011-12													
		2012-13													
		2013-14													
17	**Total** **योग**	2011-12													
		2012-13													
		2013-14													

II. CAPITAL EXPENDITURE (In Rs) II. पूँजीगत व्यय (रू0 में)

S.No क.सं.	Items मद	Accounting Year लेखा वर्ष	Purchase of Financial Assets वित्तीय परिसम्पत्तियों का क्रय	Purchase of Land भमि का क्रय	6. Purchase of Second hand assets 6. सेकेन्ड हैण्ड परिसम्पत्तियो का क्रय		7. Capital Expenditure on Assets 7. परिसम्पत्तियों पर पूँजीगत व्यय									Capital Transfers पूँजी अंतरण	Change in Stock स्थायी स्टाक में परिवर्तन
					Purchase of Building भवनों का क्रय	Purchase of Other Assets अन्य परिसम्पत्तियों का क्रय	Building भवन	Road सड़क	Other Construction अन्य निर्माण	Capitalized Wages पूँजीगत मजदूरी	Transport परिवहन	Machinery औजार एवं मशीनरी	Software साफ्टवेयर	Animal Stock पशुधन	Cultivated Stock कल्टीवेटेड आस्तियाँ		
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8	9
1	General Public Services सामान्य सेवाएं	2011-12															
		2012-13															
		2013-14															
2	Education Services शिक्षा सेवाएं	2011-12															
		2012-13															
		2013-14															
3	Health Services स्वास्थ्य सेवाएं	2011-12															
		2012-13															
		2013-14															
4	Social Security and Welfare Services सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी सेवाएं	2011-12															
		2012-13															
		2013-14															
5	Housing and Community Amenity Services आवासीय एवं सामुदायिक सुविधा सेवाएं	2011-12															
		2012-13															
		2013-14															

	Cultural Recreational and Religious Services	2011-12															

II. CAPITAL EXPENDITURE (In Rs) II. पूँजीगत व्यय (रू0 में)

S.No क.सं.	Items मद	Accounting Year लेखा वर्ष	Purchase of Financial Assets वित्तीय परिसम्पत्तियों का क्रय	Purchase of Land भमि का क्रय	6. Purchase of Second hand assets 6. सेकेन्ड हैण्ड परिसम्पत्तियो का क्रय		7. Capital Expenditure on Assets 7. परिसम्पत्तियों पर पूँजीगत व्यय									Capital Transfers पूँजी अंतरण	Change in Stock स्थायी स्टाक में परिवर्तन
					Purchase of Building भवनों का क्रय	Purchase of Other Assets अन्य परिसम्पत्तियों का क्रय	Building भवन	Road सड़क	Other Construction अन्य निर्माण	Capitalized Wages पूँजीगत मजदूरी	Transport परिवहन	Machinery औजार एवं मशीनरी	Software साफ्टवेयर	Animal Stock पशुधन	Cultivated Stock कल्टीवेटेड आस्तियाँ		
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8	9
6	and Religious Services सांस्कृतिक, मनोरंजक एवं धार्मिक सेवाएं	2012-13															
		2013-14															
7	Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting कृषि, वानिकी, मत्स्य एवं आखेटन	2011-12															
		2012-13															
		2013-14															
8	Manufacturing विनिर्माण	2011-12															
		2012-13															
		2013-14															
9	Electricity & Gas विद्युत एवं गैस	2011-12															
		2012-13															
		2013-14															
10	Water Supply जलापूर्ति	2011-12															
		2012-13															
		2013-14															

II. CAPITAL EXPENDITURE (In Rs) II. पूँजीगत व्यय (रू0 में)

S.No क.सं.	Items मद	Accounting Year लेखा वर्ष	Purchase of Financial Assets वित्तीय परिसम्पत्तियों का क्रय	Purchase of Land भमि का क्रय	6. Purchase of Second hand assets 6. सेकेन्ड हैण्ड परिसम्पत्तियो का क्रय		7. Capital Expenditure on Assets 7. परिसम्पत्तियों पर पूँजीगत व्यय									Capital Transfers पूँजी अंतरण	Change in Stock स्थायी स्टाक में परिवर्तन
					Purchase of Building भवनों का क्रय	Purchase of Other Assets अन्य परिसम्पत्तियों का क्रय	Building भवन	Road सड़क	Other Construction अन्य निर्माण	Capitalized Wages पूँजीगत मजदूरी	Transport परिवहन	Machinery औजार एवं मशीनरी	Software साफ्टवेयर	Animal Stock पशुधन	Cultivated Stock कल्टीवेटेड आस्तियाँ		
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8	9
11	Transport परिवहन	2011-12															
		2012-13															
		2013-14															
12	Construction निर्माण	2011-12															
		2012-13															
		2013-14															
13	Environment Protection पर्यावरण संरक्षण	2011-12															
		2012-13															
		2013-14															
14	Relief on calamities आपदा राहत	2011-12															
		2012-13															
		2013-14															
15	Sanitation स्वच्छता सेवाएं	2011-12															
		2012-13															
		2013-14															

II. CAPITAL EXPENDITURE (In Rs) II. पूँजीगत व्यय (रू0 में)

S.No क.सं.	Items मद	Accounting Year लेखा वर्ष	Purchase of Financial Assets वित्तीय परिसम्पत्तियों का क्रय	Purchase of Land भमि का क्रय	6. Purchase of Second hand assets 6. सेकेन्ड हैण्ड परिसम्पत्तियो का क्रय		7. Capital Expenditure on Assets 7. परिसम्पत्तियों पर पूँजीगत व्यय									Capital Transfers पूँजी अंतरण	Change in Stock स्थायी स्टाक में परिवर्तन
					Purchase of Building भवनों का क्रय	Purchase of Other Assets अन्य परिसम्पत्तियों का क्रय	Building भवन	Road सड़क	Other Construction अन्य निर्माण	Capitalized Wages पूँजीगत मजदूरी	Transport परिवहन	Machinery औजार एवं मशीनरी	Software साफ्टवेयर	Animal Stock पशुधन	Cultivated Stock कल्टीवेटेड आस्तियाँ		
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8	9
16	Others अन्य	2011-12															
		2012-13															
		2013-14															
17	**Total** **योग**	2011-12															
		2012-13															
		2013-14															

BLOCK - 3 खण्ड – 3

Funds (In Rs) निधियाँ (रू0 में)

Sl. No क्र0सं0		Items मद	2011-12		2012-13		2013-14	
			Receipts प्राप्तियाँ	Expenditure व्यय	Receipts प्राप्तियाँ	Expenditure व्यय	Receipts प्राप्तियाँ	Expenditure व्यय
1		2	3	4	5	6	7	8
1		**Loans** **ऋण**						
	1.1	Centre केन्द्र						
	1.2	State राज्य						
	1.3	Other Local Bodies अन्य स्थानीय निकाय						
	1.4	Financial Institution वित्तीय संस्थाएं						
	1.5	Others अन्य						
2		**Remittance** **धन प्रेषण**						
3		**Internal Debt** **आंतरिक ऋण**						

Funds (In Rs) निधियाँ (रू0 में)							
Sl. No क0सं0	Items मद	2011-12		2012-13		2013-14	
		Receipts प्राप्तियाँ	Expenditure व्यय	Receipts प्राप्तियाँ	Expenditure व्यय	Receipts प्राप्तियाँ	Expenditure व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Small savings, Provident fund etc.** अल्प बचत तथा प्रोविडेन्ट फंड आदि						
5	**Reserve Funds** आरक्षित धनराशि						
6	**Deposits and Advances** जमा एवं अग्रिम						
7	**Suspense and Miscellaneous** उचंत खाता तथा विविध						
8	**Other Funds** अन्य फण्ड						
9	**Opening Balance** प्रारम्भिक अवशेष						
10	**Closing Balance** क्लोसिंग अवशेष						

BLOCK - 4 खण्ड – 4

ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण (अद्यतन् सूचना)

(केवल ग्राम पंचायत से भरा जायेगा)

क्र0सं0		मद	सम्मिलित राजस्व ग्राम के नाम			
			1	2	3	4
1		प्राइमरी विद्यालय (हाँ/नहीं)				
2		पूर्व माध्यमिक विद्यालय (हाँ/नहीं)				
3		आँगनबाड़ी केन्द्र (हाँ (भवन सहित या बिना भवन)/नहीं)				
4		ANM Centre (हाँ (भवन सहित या बिना भवन)/नहीं)				
5		पशु सेवा केन्द्र (हाँ (भवन सहित या बिना भवन)/नहीं)				
6		साधन सहकारी समितियाँ (हाँ (भवन सहित या बिना भवन)/नहीं)				
7	(A)	स्थापित हैण्ड पम्प (संख्या)				
	(B)	खराब हैण्ड पम्प (संख्या)				
8		चालू सरकारी नलकूप (संख्या)				
9		पेयजल टंकी सुविधा प्राप्त (हाँ/नहीं)				
10		विद्युत सप्लाई (हाँ/नहीं)				
11		डीजल चालित उपकरणों की संख्या				
	(A)	5 HP तक पम्पिंग सेट				
	(B)	5 HP के ऊपर के पम्पिंग सेट				
	(C)	ट्रैक्टर				
	(D)	हार्वेस्टिंग मशीन				
	(E)	भारी मालवाहन (ट्रक इत्यादि)				

पर्यवेक्षक का
नाम/हस्ताक्षर
मोबाइल नं0 –

ग्राम पंचायत अधिकारी
का नाम/हस्ताक्षर
मोबाइल नं0 –